

### निविदा सूचना

कुठमवि०नि० वि० नैनीताल में पंजीकृत सिविल भवन सम्बन्धी कार्य करने वाले ठेकेदारों से बन्ध विपणन में निविदा दिनांक 12.02.2021 को अपराह्न 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समुच्च गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 20.01.2021 से दिनांक 11.02.2021 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क (जी०एस०टी० सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी निम्न वेबसाईट [www.kmyn.in](http://www.kmyn.in) एवं किसी भी कार्य दिवस में निम्न कार्यालय में देखी जा सकती है तथा सरोधन भी निम्न वेबसाईट के माध्यम से ही किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	घरोहर राशि (₹)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (मंजूर)
1	कोटभादरी जिला बागेश्वर में सार्वजनिक मंच का विकास कार्य।	2360.00	46000.00	08 माह	02 माह	'डी' एवं तन्वतर
2	समस्तीला भवन गल्लू का सौन्दर्यीकरण।	1770.00	28000.00	04 माह	02 माह	'सी' एवं तन्वतर
3	पर्यटक आवास गृह, पदमपुरी में छत में चाटर फुफिंग एवं पतनाले लगाने का कार्य।	590.00	7000.00	02 माह	01 माह	'डी' एवं तन्वतर
4	विधायक निधि हल्द्वारी के अन्तर्गत अमरावती कालोनी फेज-1 में मेन रोड से को.के. पल्ल के मकान तक एवं आस पास सी०सी० रोड व नाली का कार्य	1770.00	40,000.00	02 माह	01 माह	'सी' एवं तन्वतर
5	नैनीताल नगर क्षेत्र में रोप वे लोअर डर्मिगल के समीप गैस कार्यालय कक्ष का निर्माण।	1770.00	24000.00	03 माह	01 माह	'सी' एवं तन्वतर
6	ए०टी०आई० नैनीताल में निदेशक कार्यालय कक्ष में सीलिंग का कार्य।	590.00	10,000.00	01 माह	01 माह	'डी' एवं तन्वतर
7	ए०टी०आई० नैनीताल में निदेशक कार्यालय कक्ष का उन्नीकरण एवं आधुनीकरण का कार्य।	1180.00	12000.00	01 माह	01 माह	'डी' एवं तन्वतर
8	निर्माण खण्ड (ई) निविदा)					
a	प०आ०गृह, माल रोड, सनीखेत में उन्नीकरण का कार्य।					

उक्त से सम्बन्धित सूचना [www.uktenders.gov.in](http://www.uktenders.gov.in) में देखी जा सकती है।

शर्त - किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं [www.kmyn.in](http://www.kmyn.in) में देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त पर कोई सरोधन किया जाता है तो उसकी सूचना केवल निम्न की वेबसाईट के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी।

निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

- 1- निविदा केवल निम्न में पंजीकृत ठेकेदारों को ही विकस की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा प्रपत्र कम करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा सम्बन्धित कार्य की घरोहर घनराशि निर्धारित प्रारूप में (एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/कोल डिपोजिट के रूप में महाप्रबन्धक, कुठमवि०नि० के नाम बन्धक होनी चाहिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- 2- निविदादाता को जी०एस०टी०, आयकर प्रमाण पत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी छायाप्रति निविदा के साथ सलम्न करना अनिवार्य है।

- 3- निविदा के साथ ₹० 100.00 का गौन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त ₹० 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ सलम्न करना आवश्यक है।

- 4- अपूर्ण सशत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी।

- 5- निविदा में मात्राये घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

- 6- अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया तो निविदा/अनुबन्ध की घरोहर/जमागत घनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।

- 7- अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- 8- अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।

- 9- निर्माण कार्य की गूणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस हानि की घनराशि की वशुली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/06 जो निविदा के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्रावधानों अनुसार की जायेगी।

- 10- यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

- 11- निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

- 12- निविदा की दृष्टि प्रविशत में ही मान्य होगी। जो कि अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है।

- 13- ठेकेदार द्वारा घरोहर राशि के रूप में जमा की जाने वाली निर्धारित घनराशि अलग-अलग कार्यों हेतु पूल में अलग-अलग जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

- 14- कृम संख्या (1) एवं (2) के निर्माण कार्य शासन से प्राप्त घनराशि के सन्देश ही कराये जायेगे।

o/c

महाप्रबन्धक

कार्यालय कुमाऊँ गण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल  
पत्रांक 3059/10-नि0/20-21 दिनांक 28 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1-प्रबन्ध निदेशक, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
- 2-सहायक अभियन्ता, नैनीताल/बागेश्वर/अल्मोडा को शैड्यूल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित ।
- 3-समस्त सहायक अभियन्ता, कु0म0वि0नि0, उधम सिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ को व्यापक प्रचार हेतु ।
- 4-अधिशारी अभियन्ता, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड, नैनीताल/बागेश्वर/अल्मोडा को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु ।
- 5-मुख्यालय नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु ।
- 6-अनुबन्ध पत्रावली हेतु ।
- 7-कैशियर निर्माण खण्ड, निविदा विक्रय के समय निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें ।
- 8-कम्प्यूटर कक्ष को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।

o/c  
महप्रबन्धक